न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 01 / 2020 प्रार्थना–पत्र

निर्णय दिनांक 09.09.2020

1. प्रकाशचंद पुत्र बिरधीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास।

प्रार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम बाबत नाम दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव
2. अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा जर्ये एडवोकेट अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के खाते की आराजी माल ग्राम धूलेट तहसील कनवास में खाता संख्या नई 198 के खसरा नबंर 2060 की रकबा 0.10 है0, खसरा नबंर 2061 की रकबा 1.32 है0, कुल किता 02 की कुल रकबा 1.42 है0, आराजी स्थित है एवं माल ग्राम नयागांव तहसील कनवास में खाता संख्या नई 81 के खसरा नबंर 1855 की रकबा 0.59 है0, खसरा नबंर 1856 की रकबा 0.59 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.18 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में सेटलमेंट संवत् 2058 से 2077 के पूर्व साबिक खसरा नबंर 233 / 629 की रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नबंर 546 / 681 की रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 02 की कुल रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा थे, जिसका एक ही खाता था जो जमाबंदी संवत 2050–53 में अंकित है।

यह कि उक्त आराजी के भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पट्टा संवत 2013–2032 में प्रार्थी के पिता का नाम बरदीया पुत्र भंवरलाल कौम कुम्हार साकिन धूलेट दर्ज था, लेकिन बाद में बनी जमाबंदीयों में राजस्व कर्मचारियों ने त्रृटिवश प्रार्थी के पिता का नाम बरदिया पुत्र भंवरलाल के बजाय बदरिया पुत्र भंवरलाल व जाति कुम्हार' की बजाय लुहार दर्ज कर दी है। जबकि वास्तव में प्रार्थी के पिता का नाम बरदीया उर्फ बिरधीलाल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी धूलेट है।

यह कि प्रार्थी के उक्त त्रृटि का पता चलते ही प्रार्थी ने अविलम्ब उक्त नाम व जाति को शुद्व करवानेके लिये एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.2.2020 को श्रीमान नायब तहसीलदार कनवास केसमक्ष पेश किया जिसमें बाद पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.03.2002 से शुद्वि पत्र आदेश दिनांक 07.06.2002 से प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व करके बरदिया पुत्र भंवरलाल कौम कुम्हार दर्जकर दिया गया। जिसका शुद्वि पत्र केदंतकाल का नोट जमाबन्दी सम्वत् 2050–53 में खाता संख्या नई 254 में दर्जकर दिया गया था, लेकिन वापस सेटलमेंटसंवत् 2058–77 के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियोंद्वारा उपरोक्त दोनों खातों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम वापस बरदिया पुत्र भंवरलाल कौम कुम्हार दर्ज कर दिया है, जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास में स्थित वर्तमान खाता संख्या नई 198 के खसरा नबंर 2060 की रकबा 0.10 है0, खसरा नबंर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

2061 की रकबा 1.32 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.42 है0, आराजी एवं माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट में स्थित खाता संख्या नई 81 के खसरा नबंर 1855 की रकबा 0.59 है0, खसरा नबंर 1856 की रकबा 0.59 है0, कुल किता 02 की कुल रकबा 1.18 है0, आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बदरिया पुत्र भंवरलाल के स्थान पर शुद्व व सम्मानजनक नाम बिरधीलाल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार दर्ज किया जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना–पत्र में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धूलेट की आराजी खसरा नबंर 2060 की रकबा 0.10 है, खसरा नबंर 2061 की रकबा 1.32 है0, खसरा किता 02 की रकबा 1.42 है0, व ग्राम नयागांव के आराजी खसरा नबंर 1855 की रकबा 0.59 है0, खसरा नबंर 1856 की रकबा 0.59 कुल किता 02 की रकबा 1.18 हे0, में प्रार्थी प्रकाशचंद पुत्र बिरधीलाल जाति कुम्हार निवासी धूलेट में प्रार्थी के पिता का नाम बदरिया पुत्र भंवरलाल के स्थान पर बिरधीलाल उर्फ बदरिया पुत्र भंवरलाल संशोधित करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। एवं प्रार्थी के पिता की जति जमाबंदी सम्वत 2050–53 में दर्ज शुद्वि पत्र के आदेश अनुसार जाति लुहार के स्थान पर कुम्हार दर्ज है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति लुहार के स्थान पर कुम्हार किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमारे द्वारा प्रार्थना–पत्र में संलग्न दस्तावेजों , जवाब सरकार, संलग्न शपथ–पत्र श्री मोहनलाल नागर पुत्र भंवरलाल नागर जाति धाकड निवासी धूलेट व श्री रमेशचंद पुत्र श्री द्वारकलाल जाति तेली निवासी धूलेट व ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण –पत्र का अवलोकन किया गया जिससे हम कि ग्राम धूलेट की आराजी खसरा नबंर 2060 की रकबा 0.10 है, खसरा नबंर 2061 की रकबा 1.32 है0, खसरा किता 02 की रकबा 1.42 है0, व ग्राम नयागांव के आराजी खसरा नबंर 1855 की रकबा 0.59 है0, खसरा नबंर 1856 की रकबा 0.59 कुल किता 02 की रकबा 1.18 हे0, में प्रार्थी प्रकाशचंद पुत्र बिरधीलाल जाति कुम्हार निवासी धूलेट में प्रार्थी के पिता का नाम बदरिया पुत्र भंवरलाल के स्थान पर बिरधीलाल उर्फ बदरिया पुत्र भंवरलाल संशोधित करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। एवं प्रार्थी के पिता की जति जमाबंदी सम्वत 2050–53 में दर्ज शुद्वि पत्र के आदेश अनुसार जाति लुहार के स्थान पर कुम्हार दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी के पिता की जाति लुहार के स्थान पर कुम्हार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है, कि ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास की आराजी खसरा नबंर 2060 की रकबा 0.10 है, खसरा नबंर 2061 की रकबा 1.32 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.42 है0, व ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास के आराजी खसरा नबंर 1855 की रकबा 0.59 है0, खसरा नबंर 1856 की रकबा 0.59 कुल किता 02 की रकबा 1.18 हे0, में प्रार्थी प्रकाशचंद के पिता का नाम बदरिया पुत्र भंवरलाल के स्थान पर बिरधीलाल पुत्र भंवरलाल संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं , साथ ही जमाबंदी सम्वत 2050–53 में दर्ज शुद्वि पत्र के आदेश अनुसार जाति लुहार के स्थान पर कुम्हार दर्ज है। उपरोक्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति लुहार के स्थान पर कुम्हार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार कनवास को पत्र के साथ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास